नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 22 Jul 2025 - 22p08
epaper.navabharat.news

हाईवे पर कारें खड़ी कर लगाया जाम कोर्ट ने पूछा- जब्त क्यों नहीं की गईं

रईशजादे ने लग्जरी कारें खड़ी कर बना रहे थे रील्स, मना रहे थे जश्न

पुलिस ने केवल चालान काटकर छोड़ दिया था, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर।

रईशजादों द्वारा रविवार को लग्जरी कारों को नेशनल हाईवे-130 पर खड़ी कर रास्ता जाम करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से शपथपत्र में जवाब मांगा है।

दरअसल, नई कार खरीदकर कुछ रसूखदार लड़कों ने रील्स बनाने के लिए नेशनल हाईवे को

जाम कर दिया था, जिसका ड्रोन कैमरे से वीडियो शूट कर कार खरीदने का जश्न भी मनाया गया। इस दौरान सड़क से आने-जाने वालों को परेशानी हुई। पुलिस ने इन लोगों पर एफआईआर के बजाय सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई की जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पुलिस की चालानी कार्रवाई में वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडेय के शामिल थे। बता दें कि नेशनल हाईवे-130 रतनपुर रोड पर एक के बाद एक 6 कारों को खतरनाक ढंग से लहराते हुए, कट मारकर चलाते हुए देखा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर रतनपुर रोड पर तैनात प्रभारी एएसआई केके मरकाम और स्टाफ ने सभी गाड़ियों को रोककर दो-दो हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की, लेकिन एडिशनल एसपी ने इन 6 लड़कों के न तो नाम बताए और न ही उन गाड़ियों के नंबर बताए।

पुलिस ने पहले दिन छिपाए, दूसरे दिन उजागर किए नाम-नंबर

हाईवे पर कार खड़ी कर जाम लगाने वाले युवकों में आकाश कुमार सिंह पिता संजीव कुमार सिंह 35 वर्ष अयोध्या नगर बिलासपुर (सीजी-10 बीवाई-2222), यशवंत मिश्रा पिता घनश्याम मिश्रा 33 वर्ष चकरभाठा (सीजी-04 एनडी-9977), वेदांश शर्मा पिता विनय शर्मा 19 वर्ष ग्रीन पार्क कॉलोनी बिलासपुर (सीजी-10 बीएक्स-0009), सिद्धार्थ शर्मा पिता बीएस शर्मा 31 वर्ष सरकंडा बिलासपुर (सीजी-10 बीटी-6300), अभिनव पांडेय पिता आरएन पांडेय 42 वर्ष कुदुदंड बिलासपुर (सीजी-10 बीएन-4222), विपिन वर्मा पिता नंदलाल वर्मा 41 वर्ष चकरभाठा बिलासपुर (सीजी-10 बीवी-0005) और दुर्गेश ठाकुर पिता महेंद्र प्रताप सिंह 40 वर्ष मलानगंज बिलासपुर (सीजी-28 क्यू-6300) शामिल हैं। एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा है कि इन सभी का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। फिर नियम तोड़ते हैं तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।